/

श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक 29.05.2017 को जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में आयोजित बिहार शिक्षा परियोजना, खगड़िया की समीक्षा बैठक की संक्षिप्त कार्यवाही।

1. सेवापुस्त का सत्यापन :–

गत बैठक में नियमित शिक्षकों की सेवापुस्त निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पास रखने एवं सेवापुस्त का अद्यतन सत्यापन करने का निदेश दिया गया था। समीक्षा के क्रम में प्रखंडों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सेवा पुस्त प्राप्ति, सेवापुस्त सत्यापन एवं स्कैनिंग की स्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित की गयी :–

क्र0	प्रखंड	शिक्षकों की संख्या	प्राप्त सेवा पुस्त	अभ्युक्ति / निदेश
1.	खगड़िया	462	462	सभी सेवापुस्त का स्कैनिंग कराकर सी0डी0 डी0पी0ओ0 (स्थापना) को उपलब्ध करा दिया गया है।
2.	अलौली	131	131	सभी सेवापुस्त का स्कैनिंग कराकर सी0डी0 डी0पी0ओ0 (स्थापना) को उपलब्ध करा दिया गया है।
3.	चौथम	122	121	श्री प्रमोद कुमार, शिक्षक, मध्य विद्यालय अहुना द्वारा सेवापुस्त नहीं दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि इन्हें निलंबित किया गया है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अन्य 121 सेवापुस्त की सी0डी0 डी0पी0ओ0 (स्थापना) को उपलब्ध करा दिया गया है।
4.	मानसी	69	69	निकासी एवं व्यंग पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित पाये गये जिसके कारण समीक्षा नही की जा सकी। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इनका वेतन स्थगित करने का आदेश निर्गत करे एवं आदेश की प्रति कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया को भी दें।
5.	बेलदौर	99	99	सभी सेवापुस्त का स्कैनिंग कराकर सी0डी0 डी0पी0ओ0 (स्थापना) को उपलब्ध करा दिया गया है।
6.	गोगरी	285	285	सभी सेवापुस्त का स्कैनिंग कराकर सी0डी0 डी0पी0ओ0 (स्थापना) को उपलब्ध करा दिया गया है।
7.	परबत्ता	175	175	सभी सेवापुस्त का स्कैनिंग कराकर सी0डी0 डी0पी0ओ0 (स्थापना) को उपलब्ध करा दिया गया है।

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी नियमित शिक्षकों की सेवापुस्त अपने पास रखें एवं सत्यापन सुनिश्चित करें। जिन शिक्षकों के विरूद्ध अनुशांसनात्मक कार्रवाई होती है उसकी प्रविष्टि संबंधित शिक्षक की सेवापुस्त में करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)

नियोजित शिक्षकों के सेवापुस्त संधारण, सत्यापन एवं स्कैनिंग के संदर्भ में समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा स्थिति निम्नवत् बताई गयी :–

क्र0	प्रखंड	शिक्षकों की संख्या	प्राप्त सेवा पुस्त	अभ्युक्ति / निदेश
1.	खगड़िया	934	900	प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 134 सेवापुस्त का स्कैनिंग हो पाया है। उन्हें हाल में ही खगड़िया प्रखंड का प्रभार दिया गया है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि एक माह का समय दिया जाय। उन्हें निदेश दिया गया कि एक माह के अन्दर सभी सेवापुस्तों का स्कैनिंग करा कर सी0डी0 डी0पी0ओ0 (स्थापना) को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही

				जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया (सेवानिवृत) का सेवान्त लाभ का भुगतान स्थगित करें तथा उनके विरूद्ध प्रपत्र "क" गठित करना सुनिश्चित करें।
2.	अलौली	893	870	प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वे हाल में ही इस प्रखंड का प्रभार लिया है एवं पूर्व में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्री शम्भु शरण प्रसाद थे। उन्हें निदेश दिया गया कि एक माह के अन्दर सभी सेवापुस्तों का स्कैनिंग करा कर सी0डी0 डी0पी0ओ0 (स्थापना) को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया (सेवानिवृत) का सेवान्त लाभ का भुगतान स्थगित करें तथा उनके विरूद्ध प्रपत्र "क" गठित करना सुनिश्चित करें।
3.	चौथम	569	566	566 सेवापुस्त का स्कैनिंग कराकर सी0डी0 डी0पी0ओ0 (स्थापना) को उपलब्ध करा दिया गया है।
4.	मानसी	230	230	सभी सेवापुस्त का स्कैनिंग कराकर सी0डी0 डी0पी0ओ0 (स्थापना) को उपलब्ध करा दिया गया है।
5.	बेलदौर	565	553	सभी सेवापुस्त का स्कैनिंग कराकर सी0डी0 डी0पी0ओ0 (स्थापना) को उपलब्ध करा दिया गया है।
6.	गोगरी	877	838	सभी सेवापुस्त का स्कैनिंग कराकर सी0डी0 डी0पी0ओ0 (स्थापना) को उपलब्ध करा दिया गया था, परन्तु त्रुटि दर्शाते हुए लौटा दिया गया है। जिसे पुनः भेजने की कार्रवाई की जा रही है। उन्हें निदेश दिया गया कि त्रुटि का निराकरण कर सी0डी0 भेजना सुनिश्चित करें।
7.	परबत्ता	640	637	615 सेवापुस्त का स्कैनिंग कराकर सी0डी0 डी0पी0ओ0 (स्थापना) को उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि शेष बचे सेवापुस्त का स्कैनिंग कराकर सी0डी0 डी0पी0ओ0 (स्थापना) को उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं प्रखंडों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को पुनः स्पष्ट निदेश दिया गया कि क्रमशः नियोजित शिक्षकों एवं नियमित शिक्षकों की सेवापुस्त अपने पास रखेंगे एवं उसका सत्यापन नियमानुसार करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खगड़िया जिला (प्रखंड के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी) को निदेश दिया गया कि जो शिक्षक फरार हैं उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित करें अन्यथा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के विरूद्ध ही कार्रवाई की जायेगी। यदि लम्बी अवधि एवं बिना पुर्वानुमति के शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं एवं उनका वेतन भुगतान कर दिया जाता है तो संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से भुगतान की गयी राशि की वसूली की जायेगी।

(अनुपालन : सभी प्र0 शि0 पदाधिकारी/सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मध्य विद्यालय, सोनिहार (अलौली) में पदस्थापित प्रखंड शिक्षिका साधना सिन्हा काफी दिनों से फरार है। इस संबंध में कार्रवाई हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलौली को पत्र भी लिखा गया है परन्तु उनके द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलौली को निदेश दिया जाता है कि वे तीन दिनों के अन्दर इस मामलें की समीक्षा कर नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालन : प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलौली)

2. नियोजित शिक्षकों के स्थान पर नियमित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक का प्रभार दिलाना :–

समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि नियमित शिक्षको को प्रधानाध्यापक का प्रभार दिला दिया गया है।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी)

प्रखंडों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को स्पष्ट निदेश दिया गया कि यदि कोई शिक्षक अवकाश पर जाते हैं तो अवकाश में जाने के पूर्व सरकारी अस्पताल के चिकित्सक का Unfit प्रमाण पत्र एवं अवकाश पर से लौटने पर Fit प्रमाण पत्र के आधार पर ही क्रमशः अवकाश पर जाने एवं योगदान की स्वीकृति देंगे।

(अनुपालन : सभी प्रखंड शिक्षा, पदाधिकारी/प्रखंडों निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान ने बताया कि विद्यालय भवन निर्माण नहीं करने वाले 43 शिक्षकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान को निदेश दिया गया कि जिन शिक्षकों को भवन निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करायी गयी है, परन्तु उनके द्वारा भवन निर्माण नहीं कराया गया है। उनके वेतन से राशि की कटौती करना सुनिश्चित करें। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि जिन शिक्षको के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है उसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने के लिए अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान)

3. शिक्षकों की प्रोन्नति :–

समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शिक्षकों को दो तरह की प्रोन्नति दी गयी है एवं शेष प्रोन्नति देने पर विचार किया जा रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि शीघ्र नियमानुसार प्रोन्नति देने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी)

4. निरीक्षण :–

समीक्षा के क्रम में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने की स्थिति निम्नवत् बताई गई :–

क्र0	प्रखंड	निरीक्षण किये गये विद्यालयों की संख्या	निरीक्षण में अनुपस्थित शिक्षकों की सं0
1.	खगड़िया	06	प्राथमिक विद्यालय चमन टोला की एक शिक्षिका से स्पटीकरण पुछा गया।
2.	परबत्ता	02	जो शिक्षक अनुपस्थित पाये गये उनका वेतन बंदकर दिया गया हैं।
3.	चौथम	17	प्राथमिक विद्यालय, मलपा मुसहरी मे एक शिक्षिका अनुपस्थित थी मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक गायब पाये, जिन के विरुद्ध जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि उक्त प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है।

4.	अलौली	02	एक विद्यालय बन्द पाया गया। सभी शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा गया है।
5.	बेलदौर	04	अनुपस्थित पाये गये 04 शिक्षकों का वेतन काटा गया।
6.	गोगरी	03	03 विद्यालय के अंनुपस्थित शिक्षकों को वेतन भुगतान कर दिया गया है।
7.	मानसी	10	निरीक्षण के समय मटिहानी में एक शिक्षिका लेट आयी थी, जिनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यो का मासिक मूल्यांकन करें एवं मासिक मूल्यांकन के आधार पर ही उनका वार्षिक गोपनीय अभियुक्तियाँ अभिलिखित करेंगे।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी)

दिनांक–01.04.2017 को अलौली प्रखंड के पंचायतों में जिला स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया था, जिसमें अनेको शिक्षक विद्यालय से अनुपस्थित पाये गये थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्यालय से अनुपस्थित पाये गये शिक्षको में तीन नियमित एवं 41 नियोजित शिक्षक थे जिनके विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई की गयी है। उन्हें निदेश दिया गया कि जिन शिक्षकों को निलंबित किया जाता है उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अविलम्ब प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी)

5. जीविका द्वारा निरीक्षण :–

समीक्षा के क्रम में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा जीविका द्वारा किये गये निरीक्षण के संबंध में निम्न स्थिति बताई गयी :–

क्र0	प्रखंड का नाम	जीविका द्वारा अनुश्रवित विद्यालयों की संख्या	अनुपस्थित शिक्षकों की संख्या	कार्रवाई हेतु स्पष्टीकरण	अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन कटौती	अन्य कार्रवाई	WEB Portal पर अपलोड
1.	अलौली	17	02	0	0	0	25
2.	बेलदौर	115	13	0	0	0	409
3.	चौथम	53	0	0	0	0	141
4.	गोगरी	109	18	0	0	0	306
5.	खगड़िया	54	2	0	0	0	101
6.	मानसी	25	0	0	0	0	86
7.	परबत्ता	28	0	0	0	0	41
	कुल	401	35	0	0	0	1109

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं सभी प्रखंडों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि निरीक्षण के क्रम में जो शिक्षक अनुपस्थित पाये जाते हो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी)

सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे प्रत्येक माह में अपना कार्य व्यौरा समर्पित करेंगे।

(अनुपालन : सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी)

6. विद्यालयों में पंजी का संधारण :–

बैठक में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों ने बताया कि विद्यालयों द्वारा पंजियों का संधारण किया जा रहा है। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि भ्रमण के क्रम में सभी पंजियों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान को निदेश दिया गया कि BRP & CRD में कार्यरत कर्मियों की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान)

7. जिले के सभी विद्यालयों में प्रत्येक माह के 15 तारीख को विद्यालय समिति की बैठक का आयोजन :–

समीक्षा के क्रम में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा निम्न स्थिति प्रतिवेदित की गयी :–

क्र0	प्रखंड	कुल विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों की संख्या जहाँ VSS बैठक की कार्यवाही प्राप्त हुई है।	
			अप्रैल 2016	जनवरी 2017
1	अलौली	180	34	39
2	बेलदौर	140	41	95
3	चौथम	134	48	69
4	गोगरी	209	48	100
5	खगड़िया	215	64	53
6	मानसी	44	22	14
7	परबत्ता	140	44	42
कुल		1062	301	412

सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन विद्यालयों में बैठक नहीं हुई है उस विद्यालय में बैठक करने हेतु प्रधानाध्यापक को निदेश दे। साथ ही प्रत्येक माह की 15 तारीख तक प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय समिति की बैठक का आयोजन सुनिश्चित करायेंगे तथा इनके लिए जिम्मेवार मानेजायेंगे।

(अनुपालन : सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी)

8. मध्याह्न भोजन योजना :–

समीक्षा के क्रम में DPO, (MDM) ने बताया कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितता बरते जाने पर अबतक 203 विद्यालयों के शिक्षकों (प्रधानाध्यापक) के यहाँ वसूली हेतु 6725918 रूपये के विरूद्ध 2904846 रूपये की वसूली की गयी है। माह जनवरी में 550841 रूपये फरवरी में 270618 रूपये एवं अप्रैल में 165176 रूपये की वसूली हुई है। निदेश दिया गया कि शतप्रतिशत राशि वसूली सुनिश्चित करें। जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शिक्षक के वेतन से राशि की वसूली नहीं करते हैं उन्हें वसूली की कार्रवाई मे अभिरूची नहीं लेने के कारण दोषी शिक्षक को सहयोग में संल्पिता मानते हुए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के वेतन से राशि की कटौती की जाय।

(अनुपालन : सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी SSA)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा स्थापना को निदेश दिया गया कि तीन माह से अधिक अवधि से गायब रहने वाले नियोजित शिक्षकों की सूची जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया को

भेजेंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारीगण भी ऐसे शिक्षकों की सूची जिला पंचायती राज पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे कि उनके विरूद्ध कौन सी कार्रवाई की गयी है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खगड़िया प्राप्त सूची में अंकित नियोजित ईकाई से सूचना प्राप्त करेंगे कि संबंधित शिक्षक के विरूद्ध उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है तथा अबतक कितने शिक्षकों के विरूद्ध कार्रवाई किया गया है।

(अनुपालन– जिला पंचायत राज पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा स्थापना/सभी प्र0 शि0 पदा0)

समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन शिक्षकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है, उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी संचालित की जाय।

(अनुपालन– जिला शिक्षा पदाधिकारी)

समीक्षा के क्रम में सभी प्र0 शि0 पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के संबंध में संबंधित नियोजन इकाई को उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : सभी प्र0 शि0 पदाधिकारी)

समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना शिक्षा) को निदेश दिया गया कि अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों के संबंध में नियमित रूप से समीक्षा करेंगे।

(अनुपालन– जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा)

9. छात्रवृत्ति/पोशाक/साईकिल योजना :–

समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि प्राप्त आवंटन को विद्यालय शिक्षा समिति के खाते में हस्तांतरित कर दी गयी है परंतु बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा छात्रों के खाते में राशि हस्तांतरण करने में उदासीनता वरती जा रही है। उन्हें निदेश दिया गया कि यदि बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राशि छात्रों के खाते में हस्तांतरित करने में अनावश्यक विलम्ब करते हैं तो VSS का खाता किसी अन्य बैंक में खोलने का निदेश दें।

(अनुपालन– जिला शिक्षा पदाधिकारी)

10. आधार कार्ड :–

समीक्षा के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, RMS–सह– साक्षरता ने बताया कि एजेंसी को स्थान आवंटित किया गया है परंतु आधार कार्ड बनाने का कार्य संतोषजनक नहीं है। उन्हें निदेश दिया गया कि सभी प्रखंडों में आधार केन्द्र कार्यरत हैं उसपर छात्रों का भी आधार कार्ड बनबाया जाए।

(अनुपालन : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, RMS–सह– साक्षरता)

11. कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों का निरीक्षण :–

समीक्षा के क्रम में कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय के निरीक्षण के संबंध में प्र0शि0 पदाधिकारियों द्वारा स्थिति निम्नवत् वताई गई :–

क्र0	प्रखंड	निरीक्षण की संख्या
1.	अलौली	00
2.	बेलदौर	01
3.	चौथम	01
4.	गोगरी	00
5.	खगड़िया	0
6.	मानसी	01
7.	परबत्ता	00
	कुल	03

समीक्षा के क्रम में निरीक्षण की स्थिति असंतोषप्रद पायी गयी। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे नियमित रूप से विद्यालय का निरीक्षण कर प्रतिवेदन देंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी निदेश दिया गया कि वे भी विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करेंगे।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी)

कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों में नियुक्ति के संबंध में DPO SSA ने बताया कि नियुक्ति संबंधी रोस्टर रजिस्टर उपलब्ध नहीं हो रहा है उन्हें निदेश दिया गया कि संबंधित कर्मी के विरूद्ध जिम्मेवारी निर्धारित करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– DPO SSA)

12. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की जांच :–

समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि माह मई 2017 में निरीक्षण किया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि वे नियमित निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण के दौरान Diet का भी निरीक्षण करेंगे एवं प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी)

13. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक :–

बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि विद्यालयों के लिए पुस्तक अभि तक प्राप्त नहीं हुई है। उन्हें निदेश दिया गया कि इसके लिए विभाग से पत्राचार करें।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी)

14. सर्व शिक्षा अभियान :–

Whatsapp Group बनाना :– समीक्षा के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा बताया गया कि सहायक अभियंता द्वारा Whatsapp पर कनीय अभियंताओं एवं अधोहस्ताक्षरी को मोबाईल लिंक किया गया है एवं योजनाओं के निरीक्षण कर फोटोग्राफ भेजा जा रहा है।

विद्यालय निर्माण की योजना :– समीक्षा के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा योजनाओं के प्रगति की स्थिति निम्नवत् बतायी गयी :–

अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं नया विद्यालय भवन निर्माण :– समीक्षा के क्रम में DPO, SSA ने बताया कि वर्ष 2015–16 तक कुल आवंटित 5522 कमरों के विरूद्ध अबतक 5296 योजना ली गयी है एवं 4599 योजनाएँ पूर्ण हुई है एवं शेष योजना प्रगति पर है। इसके अलावे नये स्कूल भवन के लक्षित 272 योजनाओं के विरूद्ध 268 योजनाएँ ली गयी है, जिसमें 249 योजनाएँ पूर्ण हुई है एवं 15 योजना प्रगति पर है। उन्हें निदेशित किया गया कि अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करायें।

समीक्षा के क्रम में योजनाओं की पूर्णता की स्थिति को असंतोषप्रद पाते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा DPO SSA को निदेश दिया गया कि जिले में कार्यरत 04 कनीय अभियंताओं में से जिस कनीय अभियंता का सबसे खराब प्रगति है, उन्हें हटाने का प्रस्ताव देना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : DPO, SSA)

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में वैसे शिक्षक जिन्हें पूर्व में असैनिक निर्माण कार्यो के लिए धनराशि अग्रिम के रूप में दी गयी

है, परन्तु उनके द्वारा निर्माण कार्य नहीं पूर्ण किया गया है उनसे राशि की वसूली करने एवं राशि वापस नहीं करने वाले के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, जो निम्नवत् है :–

क्र0	प्रखंड	कुल मामलें	माह मई–2017 तक में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी की संख्या
1.	अलौली		13
2.	बेलदौर		04
3.	खगड़िया		06
4.	परबत्ता		01
5.	चौथम		14
6.	गोगरी		09
7.	मानसी		01

DPO SSA को निदेश दिया गया कि शेष शिक्षकों पर FIR दर्ज नहीं करने के संदर्भ में संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को स्पष्ट निदेश दिया गया कि जिन शिक्षकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करानी है उनके विरूद्ध 7 दिनों के अंदर प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– DPO SSA/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी)

<u>किचेन शेड</u> :–समीक्षा के क्रम में DPO, MDM ने बताया कि 13 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने किचेन शेड नहीं बनाया है। चौथम–2, अलौली–4, बेलदौर–3, गोगरी–3 एवं खगड़िया–1 में किचेन शेड बनाना था, परन्तु नहीं बनाने पर संबंधित के विरूद्ध FIR दर्ज करा दिया गया है एवं नये प्रधानाध्यापक को शेड बनाने हेतु आदेश दिया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान को निदेश दिया गया कि किचन शेड का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करायें।

(अनुपालन–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान)

15. अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम :–

समीक्षा के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान ने बताया कि सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं के द्वारा प्रत्येक माह अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम समर्पित किया जा रहा है।

16. आस्था आनंद संबंधी मामला :–

विगत बैठकों में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आस्था आनंद, इन्टरमीडिएट टॉपर के विरूद्ध थाना में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में वांछित कागजात/अभिलेख प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोगरी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोगरी द्वारा आस्वस्त दिया गया था कि पूर्ण अभिलेख/कागजात गोगरी थाना को दिनांक 25.10.2016 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा के क्रम में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोगरी द्वारा बताया गया था कि आस्था आनंद से संबंधित संचिका बी0आर0पी0 में उपलब्ध नहीं हो रहा है तथा इसके लिए उन्होंने पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोगरी श्री हरेन्द्र रजक एवं श्री कैलाश चौधरी (सेवा निवृत) से दूरभाष पर बातें की थी तथा उन्होंने संचिका के संबंध में बताया कि संचिका बी0आर0पी0 कार्यालय में ही होगी। उन्होंने यह भी बताया था कि उस समय बी0आर0पी0 में सुरेन्द्र प्रसाद, प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, चंडी टोला एवं श्री श्रवण चौरसिया, प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, मलिया भी थे। गत बैठक में समीक्षा के क्रम में स्पष्ट हुआ था कि वर्त्तमान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं पूर्व उपरोक्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा पूर्व कार्यरत दोनों प्रधानाध्यापक द्वारा जांच कार्य में सहयोग नहीं किया जा रहा है, अतएव दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में वर्त्तमान एवं पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सह–अभियुक्त बनाये जाने का निदेश दिया गया था। साथ

ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गोगरी प्रखंड को निदेश दिया गया था कि उपर्युक्त दोनों प्रधानाध्यापकों का वेतन भुगतान अगले आदेश तक नहीं करेंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोगरी को निदेश दिया गया था कि बी0आर0पी0 के कार्यरत उक्त दोनों प्रधानाध्यापक को इस संबंध में पत्र लिखकर जानकारी प्राप्त करें।

(अनुपालन– जिला शिक्षा पदाधिकारी/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोगरी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)

गत बैठक में एवं पत्र द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया को आस्था आनंद के प्रमाण–पत्र को रद्द करने एवं मेधावृति की राशि वसूल करने के लिए निदेशित किया गया था। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि आस्था आनंद के प्रमाण–पत्र को रद्द करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को लिखा गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि पुनः बोर्ड को स्मार पत्र भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– जिला शिक्षा पदाधिकारी)

विगत बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा द्वारा बताया गया था कि उनके यहाँ से आस्था आनंद को 10,000/–रू0 की राशि का चेक नहीं भेजा गया है बल्कि राष्ट्रीय उच्च विद्यालय, गोगरी से निर्गत किया गया है। पृच्छा पर प्रधानाध्यापक, राष्ट्रीय उ0वि0, गोगरी ने बताया था कि जून 2012 में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, गोगरी के खाता में राशि दी गयी थी। यह छात्रा सतीश किसान उच्च विद्यालय, दीनाचकला की थी जो इस विद्यालय से संबद्ध था। बैठक में उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को बैंक खाता संख्या नोट कराते हुए इसकी जांच करने का निदेश दिया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी से जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अतएव जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया था कि जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को स्मार पत्र दें। साथ ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोगरी को इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश दिया गया था।

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिस विद्यालय से आस्था आनंद द्वारा फार्म भरा गया था उस विद्यालय को असम्बद्ध करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को पत्र लिखना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोगरी)

<u>17. आर्य कन्या उच्च विद्यालय का मामला :–</u>

विगत बैठक में समीक्षा के क्रम में पृच्छा की गयी थी कि आर्य कन्या विद्यालय में अवैध शिक्षकों की नियुक्ति एवं अवैध भुगतान के संदर्भ में क्या कार्रवाई की गयी है ? पृच्छा पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा स्थापना द्वारा बताया गया था कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश के आलोक में वेतनादि का भुगतान का आदेश दिया गया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक के विरूद्ध इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उन्हें निदेश दिया गया था कि इस मामले में जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन सभी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा डी0पी0ओ0 स्थापना के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। समीक्षा के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा स्थापना ने बताया कि अन्य दोषी के विरूद्ध डाक द्वारा नोटिस निर्गत की गयी थी, परन्तु वो नोटिस वापस आ गयी है। उन्हें निदेश दिया गया कि दोषी के विरूद्ध विधि सम्मत् कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–जिला शिक्षा पदाधिकारी)

आज की बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि 2007 से इन्टर का सम्बंधन से विद्यालयों की जांच कर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–जिला शिक्षा पदाधिकारी)

बैठक की विस्तृत कार्यवाही जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा निर्गत की जायेगी।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

जिलाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक 1307 /गो0, दिनांक 16-06-17

प्रतिलिपि : जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खगड़िया/जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा एवं योजना/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (MDM)/ DPO स्थापना/DPM माध्यमिक शिक्षा/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया जिला/सभी प्रखंड के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया/जिला आई0टी0मैनेजर, खगड़िया को सूचनार्थ तथा संबंधित पदाधिकारियों को Email एवं जिला के वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
खगड़िया।